रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 2018/पौष 19, 1939
No. 17] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 2018/PAUSHA 19, 1939

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### (वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2018

**सा.का.नि. 18(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रबड़ नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रबड़ नियम, 1955 में, नियम 45 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:—

"45. बोर्ड इन नियमों के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दरों पर एक वर्ष या उसके भाग के लिए फीस का उद्ग्रहण करेगा।

(क) विनिर्माता को 100 कि ग्रा से अधिक, परंतु 4 टन से अनधिक रबड़ की खरीद हेतु 500 रुपए प्रति अनुज्ञप्ति

(ख) विनिर्माता को 4 टन से अधिक रबड़ की खरीद हेतु 1000 रुपए प्रति अनुज्ञप्ति

(ग) व्यौहारी 1000 रुपए प्रति अनुज्ञप्ति

(घ) प्रसंस्करणकर्ता को प्रसंस्करण के लिए रबड़ के अधिग्रहण एवं इस प्रकार अधिग्रहित रबड़ की बिक्री, 1000 रुपए प्रति अनुज्ञप्ति; तथा

(ङ) प्ररूप ङ में विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक विनिर्माता द्वारा प्ररूप ङ में विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक दूसरे विनिर्माता को आपात स्थिति में रबड़ की बिक्री के लिए 500 रुपए प्रति अनुज्ञप्ति"

[फा. सं. 2/4/2016-प्लांट-सी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप खंड (i); पृष्ठ 1613, तारीख 1 अगस्त, 1955, में प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा किए गए थे, अर्थात्:—

(i) सं. सा.का.नि. 1497, तारीख 27 सितंबर, 1976

(ii) सं. सा.का.नि. 553, तारीख 18 अप्रैल, 1978

(iii) सं. सा.का.नि. 163, तारीख 21 जनवरी, 1982

(iv) सं. सा.का.नि. 1033(अ), तारीख 31 दिसंबर, 1987

(v) सं. सा.का.नि. 716(अ), तारीख 20 जून, 1988

(vi) सं. सा.का.नि. 561(अ), तारीख 5 जुलाई, 1994

(vii) सं. सा.का.नि. 897(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2001

(viii) सं. सा.का.नि. 760(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2009

(ix) सं. सा.का.नि. 704(अ), तारीख 25 अगस्त, 2010

(x) सं. सा.का.नि. 668(अ), तारीख 4 जुलाई, 2016

(xi) सं. सा.का.नि. 1513(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2017

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (DEPARTMENT OF COMMERCE)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2018

**G.S.R. 18(E).—**In exercise of the powers conferred by section 25 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Rubber Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called Rubber (Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rubber Rules, 1955 for rule 45, the following rule shall be substituted, namely,—

"45. The Board shall levy fees at the following rates for a year or part of a year for issuing licences under these rules to,

(a) manufacturer for purchase of rubber exceeding 100 kilograms, but not exceeding 4 tonnes – Rs. 500/- per licence;

(b) manufacturer for purchase of rubber exceeding 4 tonnes — Rs. 1000/- per licence;

(c) dealer Rs. 1000/- per licence;

(d) processor for acquisition of rubber for processing and sale of rubber so acquired, Rs. 1000/- per licence; and

(e) manufacturer holding a valid licence in form E for selling rubber to another manufacturer holding a valid licence in Form E in emergencies, Rs. 500/- per licence."

[F. No. 2/4/2016-Plant-C]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

**Foot Note:** The principal rules were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub–section (i); page 1613, dated the 1st August , 1955, and subsequently amended *vide* the following numbers, namely:—

(i) No. G.S.R. 1497, dated the 27th September, 1976

(ii) No. G.S.R. 553, dated the 18th April, 1978.

(iii) No. G.S.R. 163, dated the 21st January, 1982.

(iv) No. G.S.R. 1033(E), dated the 31st December, 1987.

(v) No. G.S.R. 716(E), dated the 20th June, 1988

(vi) No. G.S.R. 561(E), dated the 5th July, 1994.

(vii) No. G.S.R. 897(E), dated the 12th December, 2001.

(viii) No. G.S.R. 760(E), dated the 15th October, 2009.

(ix) No. G.S.R. 704(E), dated the 25th August, 2010.

(x) No. G.S.R. 668(E), dated the 4th July, 2016.

(xi) No. G.S.R. 1513(E), dated the 13th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.01.12 14:57:27 +05'30'